न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 85/13/दावा

1. गणेशराम पुत्रश्री हणुताराम आयु 60 साल
2. पूराराम पुत्रश्री हणुताराम आयु 50 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण मुवालों की ढाणी तन लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. नन्दाराम पुत्रश्री हणुताराम
2. छीगन पुत्रश्री महादेव प्रसाद
3. भागीरथ पुत्रश्री महादेव प्रसाद
4. गोविन्द पुत्रश्री महादेव प्रसाद
5. जगदीश पुत्रश्री महादेव प्रसाद
6. मदन पुत्रश्री महादेव प्रसाद
7. बंशीधर पुत्रश्री रामेश्वर
8. छोटू पुत्रश्री हीरा
9. मूलचन्द पुत्रश्री छोटू
10. बक्साराम पुत्रश्री छोटू
11. गणपत पुत्रश्री छोटू

समस्त जाति जाट निवासीगण मुवालों की ढाणी तन लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

12. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
13. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से
2. श्री शंकर लाल वकील प्रतिवादी सं.1 ता 5, 8, 10, 11 की ओर से

निर्णय दिनांक– 15.09.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि की ग्राम लाडपुर धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख.नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीण सं. 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2065–68 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं. 9 ता 11 का हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण सं. 2 ता 11 के हक हिस्से एवं खातेदारी की भूमि से वादी के साथ कोई विवाद नहीं है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम जो वादीगण का सगा भाई जो कि बहुत ही तेज एवं प्रभावशाली व्यक्ति है तथा अपने पिता हणुता के जीवनकाल में उसका विश्वास पात्र एवं अतिप्रिय पुत्र होने की वजह से उक्त कृषि भूमियों का हिस्सा 1/4 संपूर्ण को वादीगण से छुपाकर अपने अकेले के नाम खाता दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि कय करने के समय वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1के पिता स्व. हणुताराम के तीनों पुत्रों का एक संयुक्त हिन्दू परिवार था जिसकी शामलाती आय से पारिवारिक मौखिक निर्णय के अनुसार ही वादीगण ने संयुक्त रूप से धन की व्यवस्था कर विकेता को रूपये दिये थे तथा विकय पत्र के समय प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम ने कतई गलत चालाकी से अपने भाईयों अर्थात् वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने दिया जिसकी जानकारी कुछ अर्से बाद वादीगण को होने पर अपने पिता हणुताराम को आकर इस बात की जानकारी दी तो स्व. हणुताराम ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम को बुलाकर कह दिया था कि उक्त गलती का सुधार कर अपने दोनों भाईयों का नाम वापिस रिकार्ड में दर्ज करवा देना तब प्रतिवादी सं. 1 ने गांव के मौजिक पांच व्यक्तियों के सामने मौखिक सहमति भी जताई थी परन्तु अकस्मात हणुताराम का स्वर्गवास हो गया तथा प्रतिवादी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गयी तथ अकेले के नाम से दर्ज उक्त खातेदारी भूमि का खाता दुरूस्त करवाने से स्पष्ट इंकार हो गया जबकि मौके पर आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 तीनों का उक्त हिस्सा 1/4 पर संयुक्त कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चली आ रही है। चूंकि वादीगण इतने लम्बे अर्से से उक्त हिस्सा 1/4 भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है तथा इनके खातेदारी अधिकार भी परिपक्व हो चुके है इसलिए वादीगण को उक्त भूमि का काबिज काश्तकार एवं खातेदार घोषित किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 वाद की मदसं. 1 में वर्णित अपने हिस्सा 1/4 की भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर अंदाज से ही कभी कम तो कभी ज्यादा भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु विगत कुछ दिनों प्रतिवादी सं. 1 जो कि बहुत ही तेज एवं लड़ाकू किश्म का व्यक्ति है, ने वादीगण की कब्जा काश्त में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया है तथा मौके पर नींव सींव की बात को लेकर आये दिन झगड़ा फसाद करता रहता है जिस पर वादीगण ने उक्त प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम को वादग्रस्त कृषि भूमियों का बंटवारा करवाने बाबत कहा तो वह कुछ दिन तो बंटवारा करवाने बाबत आश्वासन देता रहा किन्तु आज से 5–7 रोज पूर्व उक्त प्रतिवादी सं. 1 नंदलाल उक्त भूमियों का बंटवारा करने/करवाने से साफ इंकार हो गया है इसलिए अब वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक के कब्जे काश्त की भूमि 1/4 हिस्से का न्यायालय के माध्यम से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद की मद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के अपने हिस्सा 1/4 की भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 विगत कुछ दिनों से भूमाफिया गिरोह

ड अधिकारी, दातारामगढ

के संपर्क में है तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज होने की आड़ में वादीगण को उनकी कब्जे काश्त एवं हक हिस्से की कृषि भूमियों से जबरन बेदखल करने तथा वादग्रस्त भूमियों को भूमाफिया गिरोह के लोगों को उक्त भूमियों को बेचान करने की धमकिया देना शुरू कर दिया है। इसलिए उक्त वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की हिस्सा 1/4 की भूमियों में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद की मद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमियां हि. 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम दर्ज है जबकि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से खरीद की हुई भूमियां है तथा उक्त भूमियों पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने पिता हणुताराम के जीवनकाल से ही काबिज होकर शामिल में काश्त करते चले आ है तथा अब उक्त भूमियां प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम होने की आड़ में वादीगण को एलानियां धमकी देकर कहता है कि वादग्रस्त भूमियां मेरे अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए तुम तुम्हारे काबिजाना हिस्से की भूमि खाली कर चलते बनो वरना मैं तुम्हें भूमाफिया गिरोह के लोगों से मिलकर बलात् बेदखल कर तुम्हारे हक हिस्से की भूमियां अन्यत्र दीगर लोगों को बेचान कर दूंगा। यदि प्रतिवादी सं. 1 अपने कुउद्देश्य में सफल हो गया तो वादीगण को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी कानूनी रूप से किया जाना कतई संभव नहीं होगा इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद कारण आज से करीब 3–4 रोज पूर्व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमियों से जबरन बेदखल करने एवं भूमियों को बेचान करने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ है जो तब से ही क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से जारी है। प्रतिवादी सं. 12 के यहां वादग्रस्त भूमियां रहन दर्ज होने से बतौर प्रतिवादी दावा में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों में से 1/4 हिस्से की भूमि बाबत वादीगण को काबिज खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जावें एवं इस आशय की उदघोषणा की जावें। प्रतिवादी सं. एक के नाम से दर्ज हिस्सा 1/4 का विधिवत बंटवारा कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक का हिस्से 1/3, 1/3 बराबर बराबर कायम कर तदन सार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावें। वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी पेश की गई।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 8, 10, 11 की ओर से वकील श्री शंकर लाल द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 6, 7, 9, 12, 13 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात ख.नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से 1/4 हि. की भूमि संयुक्त परिवार की आमदनी से कय

उप ... अधिकारी, दांतारामगढ

की गई थी लेकिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त संयुक्त आमदनी के रूपये से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कय नहीं करके अकेले प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम स्वयं ने अपने नाम कय कर ली। इसलिए संयुक्त आय से कय की गई मानते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्से 1/4 में से 1/3, 1/3 हिस्से की उद्घोषणा की जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर विवादित आराजियात में 1/4 हिस्से में से वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपति नहीं है व प्रतिवादी सं. 2 ता 5, 8, 10, 11 ने इकबालिया जवाब पेश किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2065–68 खाता सं. 53 खसरा नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम पुत्रश्री हनुताराम हि. 1/4 के नाम से है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम से है। उक्त जमाबंदी के अतिरिक्त वकील वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में अन्य दस्तावेजात यथा विक्रय पत्र, खसरा गिरदावरी, पारिवारिक आमदनी के स्त्रोत या अन्य ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित भूमि संयुक्त आय से कय की गई हो। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में किये जाने का इकबालिया जवाब अवश्य पेश किया है लेकिन इससे स्टाम्प ड्यूटी माफी नहीं दी जा सकती है। उक्त इकबालिया जवाब स्टाम्प ड्यूटी को बचाने का एक तरीका मात्र है। इसलिए वादीगण के नाम उद्घोषणा किये जाने से स्टाम्प ड्यूटी देय बनती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है विवादित आराजियात खसरा नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम पुत्रश्री हणुताराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 में से 2/3 हिस्से की वादीगण के नाम की उद्घोषणा वादीगण अपने हिस्से की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराने पर की जाती है। तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम पुत्रश्री हणुताराम का नाम हजफ किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक के नाम विवादित आराजियात ख.नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में 1/4 हिस्से में से प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3, 1/3 हिस्से का अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 15.09.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 85/13/दावा

1. गणेशराम पुत्रश्री हणुताराम आयु 60 साल
2. पूराराम पुत्रश्री हणुताराम आयु 50 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण मुवालों की ढाणी तन लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. नन्दाराम पुत्रश्री हणुताराम
2. छीगन पुत्रश्री महादेव प्रसाद
3. भागीरथ पुत्रश्री महादेव प्रसाद
4. गोविन्द पुत्रश्री महादेव प्रसाद
5. जगदीश पुत्रश्री महादेव प्रसाद
6. मदन पुत्रश्री महादेव प्रसाद
7. बंशीधर पुत्रश्री रामेश्वर
8. छोटू पुत्रश्री हीरा
9. मूलचन्द पुत्रश्री छोटू
10. बक्साराम पुत्रश्री छोटू
11. गणपत पुत्रश्री छोटू

समस्त जाति जाट निवासीगण मुवालों की ढाणी तन लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

12. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
13. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से
2. श्री शंकर लाल वकील प्रतिवादी सं.1 ता 5, 8, 10, 11 की ओर से

निर्णय दिनांक– 15.09.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

गणेशराम आदि

बनाम

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा व दुरूस्ती इन्द्राजात नंदाराम आदि

मुकदमा नं0 85 / दावा / 2013

निर्णय दिनांक 15.09.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आरएएस बहाजरी श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुददई श्री शंकरलाल वकील मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है विवादित आराजियात खसरा नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम पुत्रश्री हणुताराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 में से 2/3 हिस्से की वादीगण के नाम की उदघोषणा वादीगण अपने हिस्से की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराने पर की जाती है। तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 नंदाराम पुत्रश्री हणुताराम का नाम हजफ किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक के नाम विवादित आराजियात ख.नं. 819 ता 826, 831 ता 834 किता 12 कुल रकबा 5.77 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में 1/4 हिस्से में से प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3, 1/3 हिस्से का अमल दरामद हो।

बीज .... मुबलिग...... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 सितम्बर, 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकायलतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	11	00	मीजान	2	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।